ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर ( उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2018/195/

दिनॉकः 12.02.2018

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र के ऐसे भूखण्ड जिनका आबंटन दिनॉक 30.09.2011 से पूर्व हुआ है तथा भूखण्ड की लीजडीड दिनॉक 30.11.2016 तक निष्पादित करा ली गयी है, परन्तु भूखण्ड पर निर्माण पूर्ण कर इकाई को दिनॉक 31.12.2017 तक कियाशील घोषित नहीं करा सके। ऐसे समस्त आबंटियों को प्राधिकरण नीति के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष हेतु कियाशील के लिए कमशः 04 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 08 प्रतिशत विलम्ब शुल्क एवं तत्पश्चात भूखण्ड के प्रीमियम के 01 प्रतिशत प्रतिमाह आबंटन दर पर दिनॉक 31.03.2017 तक एवं तत्पश्चात 02 प्रतिशत प्रतिमाह आबंटन दर पर दिनॉक 31.12.2017 तक समय विस्तरण प्रदान किया गया था। दिनॉक 31.12.2017 के पश्चात प्राधिकरण बोर्ड की 111वीं बैठक दिनॉक 01.02.2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के कम में अधिकतम दिनॉक 30.09.2018 तक उपरोक्तानुसार वर्णित विलम्ब शुल्क सहित समय विस्तरण प्रदान किया जाता है ।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड की 111वीं बैठक दिनॉक 01.02.2018 में लिये गये निर्णय के कम में निर्गत किये जाते है।

अनिल कुमार शर्मा
उप महाप्रबन्धक (उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।
3. प्रबन्धक–1 (उद्योग)को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की बेबसाइट पर अपलोड कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

12/2/18

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)